प्रेषक,

कमलेश कुमार,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.ए, हापुड़

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

द्वारा–

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद हापुड़।

विषय– **चिकित्सीय आधार एवं मेरी बडी पुत्री दिव्यांशू के आगामी वर्ष 2024 में कक्षा 10 में अध्ययन होने के आधार पर जनपद हापुड़ से स्थानांतरण स्थगित किये जाने व जनपद हापुड, दिल्ली से नजदीक किसी भी जनपद में स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन–**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मेरी बड़ी पुत्री दिव्यांशू इस वर्ष सत्र 2023–24 में कक्षा 9 में दीवान पब्लिक स्कूल जनपद हापुड़ में अध्ययनरत है। जो आगामी वर्ष सत्र 2024–25 में कक्षा 10 में दीवान पब्लिक स्कूल, जनपद हापुड़ में अध्ययन करेगी तथा अन्य दो बच्चे, छोटी पुत्री प्रियदर्शिनी व सबसे छोटा पुत्र प्रत्युष कुमार भी दीवान पब्लिक स्कूल जनपद हापुड़ में ही अध्ययनरत हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे तीन अवयस्क बच्चे हैं। जिनमें दो बड़ी पुत्री एवं सबसे छोटा एकमात्र पुत्र **प्रत्यूष कुमार** है। जब वह दो वर्ष की अवस्था में था, तब मेडिकल जांच में उसकी बांयी किडनी में **टयूमर (बिल्स–टयूमर–कैंसर)** का पता चला जिस कारण चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दिनांक 18.04.2013 को मेरे पुत्र का **राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, रोहिणी, दिल्ली** में मेजर आपरेशन हुआ। तत्पश्चात् सात–आठ माह तक लगातार **कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी** व दवा आदि चलती रही। उसी समय से बच्चे को संस्थान में अभी भी दिखाना पड़ता है। आवश्यकता पडने पर दवा भी दी जाती है तथा समय–समय पर उसकी **खून की जांच, एक्सरे, अल्टासांउड, एम.आर.आई., ई.सी.जी**. आदि की जाती है। संस्थान के डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जब तक वह अवयस्क है, लम्बी दूरी की यात्रा न करने, भीड भाड से बचने एवं उक्त संस्थान से मेडिकल जांच व उपचार कराने की सलाह दी गयी है। जिस कारण मुझे समय–समय पर अपने पुत्र की नियमित जांच करानी पड़ती है। मेरे पुत्र की जीवन सुरक्षा में खतरे की सम्भावना बनी हुई है। यदि उक्त संस्थान **राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, रोहिणी, दिल्ली** से दूर व जनपद हापुड से

मेरा स्थानांतरण होता है तो मुझे अत्याधिक असुविधा होगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेरी पत्नी श्रीमती संध्या विगत 4–5 वर्ष से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। जिसका वर्तमान में ईलाज राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली/राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर, हरियाणा से हो रहा था। अत्याधिक स्वास्थ्य खराब होने पर दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को उक्त संस्थान राष्ट्रीय कैंसर झज्जर, हरियाणा में आई.सी.यू. में भर्ती किया गया। भर्ती रहने के दौरान दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उसकी मृत्यु हो गयी है। अब तीनों अवयस्क बच्चों की देखरेख मुझे ही करना है। मेरा स्थानांतरण यदि जनपद हापुड़ व दिल्ली से दूर होता है तो मुझे अत्याधिक असुविधा होगी तथा मेरी बडी बेटी दिव्यांशू की सी.बी.एस.सी. बोर्ड आगामी वर्ष सत्र 2024–25 कक्षा 10 की पढाई बाधित होगी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मेरा स्थानांतरण जनपद हापुड़ से स्थगित किये जाने हेतु व यदि स्थानांतरण होता है तो उक्त संस्थान व जनपद हापुड के नजदीकी किसी भी जिले में किये जाने हेतु मेरे अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत करने की कृपा करें।

"आभार सहित।"

दिनांक–21.12.2023

भवदीय

(कमलेश कुमार) 21/12/23
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.ए, हापुड़

<u>संलग्नकः–</u>

1. पुत्र के चिकित्सीय उपचार के आवश्यक प्रपत्रों की प्रति।
2. पुत्री दिव्यांशू की स्कूल की कक्षा 9 के आई.डी. कार्ड की प्रति।